पत्रांक :– 13/गो॰–03/2013 –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित)/मानव संसाधन विकास विभाग/
स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/
नगर विकास विभाग/ सांख्यिक वित्त विभाग, झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :–

विषयः–जल संसाधन विभाग के नियंत्राधीन अभियंता संवर्ग के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंता संवर्ग के वार्षिक गोपनीय चारित्री के अभिलेखन में काफी विसंगतियाँ पायी जाती है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से वार्षिक गोपनीय चारित्री का अभिलेखन नहीं किया जाता है एवं प्रतिवेदक/समीक्षी/ स्वीकरण पदाधिकारी के बिना अभिलेखित किए ही चारित्री को प्रेषित किया जाता है। साथ हीं मूल्यांकन प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं किया जाता है।

उपरोक्त के फलस्वरूप अभियंताओं की देय प्रोन्नति/ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ लाभ विलम्बित होता है। विचारोपरांत इस संबंध में विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है।

1. झारखण्ड सरकार, पथ निर्माण विभाग, राँची के संकल्प सं॰–3992(S) दिनांक 31.05.08 द्वारा निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन करेंगे। उक्त पत्र की अन्य कंडिकाएँ भी जल संसाधन विभाग के लिए लागू मानी जायेंगी।

2. विधिवत अभिलिखित वार्षिक गोपनीय चारित्री के साथ मूल्यांकण प्रतिवेदन का सम्प्रेषण भी अनिवार्य होगा।

3. सुवर्णरेखा परियोजनान्तर्गत कार्यरत मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के चारित्री अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/ समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है।

क्र॰	पदाधिकारी का स्तर	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मुख्य अभियंता	प्रशासक	प्रधान सचिव	विभागीय मंत्री
2	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता	प्रशासक	प्रधान सचिव
3	कार्यपालक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता	प्रशासक

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं वर्ष 2012–13 का वार्षिक चारित्री का अभिलेखन इसी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

5. चारित्री एवं मूल्यांकण प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र पूर्ववत् है, जिसे विभागीय वेबसाईट पर Upload किया गया है।

विश्वासभाजन,

अनु॰–पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची
का संकल्प सं॰–3992(S) दि॰ 31.05.08 की प्रति।

ह॰/–
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–01 एवं 02/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ प्रबंध निदेशक, झालको/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज/ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ नगर विकास विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह॰/–
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 2796 राँची, दिनांक :– 22-5-13

प्रतिलिपिः– वेब मैनेजर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इसे Employers notice में upload किया जाय। कृपया अनुलग्नकों को भी विभागीय वेब साईट पर Upload किया जाय।

अनु॰–पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची का संकल्प सं॰–3992(S) दि॰ 31.05.08, वार्षिक गोपनीय चारित्री एवं मूल्यांकण प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

D:\PRAMOD 1\J. Sec\Draft\2013\Gop. CR. 26-03-13.doc

झारखंड सरकार,
पथ निर्माण विभाग, राँची।

संकल्प

विषयः पथ **निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण।**

पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग के अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4772(एस) दिनांक 28.07.1988 के आधार पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ संधारित की जा रही थी। उक्त संकल्प के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों तथा विभिन्न स्तरों के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों के गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन में सम्यक् समावेश निमित्त यह निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग के अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन निम्न रीति से किया जाएगाः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का स्तर	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अभियंता प्रमुख	सचिव	–	विभागीय मंत्री
2.	मुख्य अभियंता	अभियंता प्रमुख	सचिव	विभागीय मंत्री
3.	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता	अभियंता प्रमुख	सचिव
4.	कार्यपालक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख	सचिव
5.	सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता	अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता	अभियंता प्रमुख
6.	कनीय अभियंता	सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता

2. प्रत्येक पदाधिकारी वित्तीय वर्ष समाप्ति के अधिकतम 30 दिनों के भीतर प्रतिवेदनाधीन वर्ष में किए गए कार्यों की सूचना प्रतिवेदी पदाधिकारी को विहित प्रतियों में उपलब्ध कराएगा। इसकी सूचना समीक्षी तथा स्वीकरण पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी । प्रतिवेदक पदाधिकारी अधिकतम 30 दिनों में तथा प्रत्येक समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी अधिकतम 15 दिनों में वांछित अभ्युक्तियाँ अभिलिखित कर श्रृंखला की ऊपरी कड़ी को उपलब्ध कराते हुए अन्य वरीय प्राधिकारों को सूचना देगा।

3. पथ निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन प्रत्येक वर्ष निर्धारित/प्रचलित पद्धति/प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

4. विशेष चारित्री अभिलेखन विभाग के निदेश पर किया जाएगा एवं विशेष चारित्री समीक्षी पदाधिकारी से न्यून स्तर द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी।

5. इस कार्य में चूक करने वाले पदाधिकारियों पर अन्य विधिमान्य कार्रवाई के अतिरिक्त इनकी गोपनीय अभ्युक्तियों में प्रतिकूल उल्लेख पर किया जाएगा।

6. राज्य प्रशासनिक सेवाओं के पदाधिकारियों की गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के संबंध में समय–समय पर परिपत्र निर्गत किये गये हैं, जिन में कई अनुदेश पदाधिकारियों द्वारा किये गये विशेष कार्य अथवा उन्हें अधिरोपित दंड के गोपनीय अभ्युक्तियों में इंदराज, पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये गए विशेष प्रशिक्षण इत्यादि का उल्लेख इत्यादि जैसे मामलों से संबंधित है, जिनका विचाराधीन सेवाओं के पदाधिकारियों के संबंध में अद्यतन प्रवृत्त प्रावधानों में उल्लेख नहीं है। इन उपयोगी प्रावधानों को विचाराधीन पदाधिकारियों के लिए लागू करने की आवश्यकता के मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है कि उन परिपत्रों/संकल्पों के माध्यम से संसूचित निर्णय, जिनके संबंध में लोक निर्माण संहिता में अथवा लोक निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किये गये हैं, यथावत लागू होंगे।

7. गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन हेतु पदाधिकारियों का कंडिका–1 में किया गया निर्धारण भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग में पथ निर्माण–संवर्गीय पदाधिकारियों के लिए लागू

होगा। अन्य विभाग जहाँ पथ निर्माण विभाग के संवर्गीय पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है वे गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन के संबंध में दायित्व का निर्धारण कर पथ निर्माण विभाग को संसूचित करेंगे।

8. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी मुद्रित प्रतियाँ सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/उपायुक्त को प्रेषित की जाए एवं इसकी 300 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, झारखंड, रांची को भी भेजी जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

31/5/08

सरकार के सचिव

प.नि.7-चारित्री-301/08

ज्ञापांकः 3992(S) दिनांकः 31/05/08

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/08

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 3992(S) दिनांक : 31/05/08

प्रतिलिपि–महालेखाकार(ले0 एवं ह0) झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/08

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 3992(S) दिनांकः 31/05/08

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव / विकास आयुक्त /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/08

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 3992(S) दिनांकः 31/05/08

प्रतिलिपिःसभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (रा0उ0पथ उपभाग, के0नि0सं0 तथा यांत्रिक सहित)/भवन निर्माण विभाग/ग्रा0अभि0सं0/नगर विकास विभाग/स्वास्थ्य विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/08

सरकार के सचिव।